



महासचिव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अनश्चित भविष्य की चेतावनी

यह एडिटरियल 28/02/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["The global order — a fraying around many edges"](#) लेख पर आधारित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा संगठन के भविष्य के बारे में बढ़ती चिंता पर की गई टिप्पणी के बारे में चर्चा की गई है। यह वषिय संगठन में सुधार की आवश्यकता पर बल देता है और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में संदेह को रेखांकित करता है।

प्रलिस के लिये:

[वैश्वीकरण](#), [जलवायु परिवर्तन](#), [G20](#), [G7](#), [संयुक्त राष्ट्र](#), [IMF](#), [वशिव बैंक](#), [BRICS](#), [अफ्रीकी संघ](#), [दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन \(ASEAN\)](#), [यूरोपीय संघ](#), [Quad](#), [AUKUS](#), [ग्लोबल साउथ](#), [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद \(UNSC\)](#), [UNSC की सदस्यता](#), [UN का शांति मिशन](#), [मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा \(UDHR\)](#)।

मेन्स के लिये:

संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे, UNSC में सुधार की ज़रूरत।

[संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद \(United Nations Human Rights Council- UNHRC\)](#) के 55वें नियमि सत्र के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने टिप्पणी की कि [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद \(United Nations Security Council- UNSC\)](#) के सदस्यों के बीच एकता की कमी ने संभवतः इसके प्राधिकार को कमजोर कर दिया है। संगठन में सुधार आवश्यक है, लेकिन मतभेदों को देखते हुए कोई भी सतही परिवर्तन पर्याप्त सिद्ध नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC):

परचिय:

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर-सरकारी निकाय है जो वशिव भर में मानवाधिकारों के प्रसार एवं संरक्षण को प्रबल करने के लिये ज़िम्मेदार है।

गठन:

- इसका गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा किया गया था। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नामक पूर्ववर्ती संस्था को प्रतिस्थापित किया।
- मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (Office of the High Commissioner for Human Rights- OHCHR) UNHRC के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- OHCHR का मुख्यालय जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

सदस्य:

- इसमें 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल होते हैं जो UNGA द्वारा चुने जाते हैं।
- परिषद की सदस्यता समतामूलक भौगोलिक वितरण पर आधारित है।

UN Security Council (UNSC)

The UN Charter vests the primary responsibility for maintaining international peace and security to the UNSC

About

One of the **6 principal organs** of UN; established in **1945** by **UN Charter**

Headquarters

New York City

First Session

17 January 1946 at Church House, Westminster, London

Membership

- 15 members - 5 Permanent Members (P5), 10 Non-Permanent Members elected for two-year terms (5 elected each year)
- P5 - the **US, the UK, Russia, France and China**

Presidency

- Rotates every month among the 15 members
- India's Presidency for year **2022 - December**

Voting Powers

- 1 member = 1 vote
- P5 have **veto power**
- Members of UN sans membership of UNSC participate without vote

UNSC Committees/Resolutions

Terrorism

- Resolution 1373** (Counter Terrorism Committee)
- Resolution 1267** (Da'esh and Al Qaeda Committee)

Non-Proliferation Committee

- Resolution 1540** (against nuclear, chemical and biological weapons)

India and UNSC

- Served **7 times** as non-permanent member; elected for the **8th time** for 2021-22; **advocates for a permanent seat**
- Arguments for a permanent seat:
 - 43 peacekeeping missions**
 - Active participation in **formulating Human Rights Declaration (UDHR)**
 - India's **population, territorial size, GDP, economic potential, cultural diversity, political system** etc.



G4

Group of 4 countries (Brazil, Germany, India and Japan) which advocate each other's bids for permanent seats in the UNSC

Uniting for Consensus (Ufc) Movement

- Informally known as the **Coffee Club**
- Countries **oppose the expansion Permanent Seats** of UNSC
- Prime movers of the club** - Italy, Spain, Australia, Canada, South Korea, Argentina and Pakistan
- Italy and Spain are opposed to Germany's bid; Pakistan - India's bid; Argentina - Brazil's bid and Australia - Japan's bid

Major Challenges in UNSC

- Usual UN rules don't apply to UNSC deliberations; **no records of meetings kept**
- Powerplay in UNSC; **anachronistic veto powers** of P5
- Deep polarisation** among P5; frequent divisions end up blocking key decisions
- Inadequate representation** of many regions among of the world



//

वैश्विकी व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में संयुक्त राष्ट्र भूमिका:

■ वभिनिन राष्ट्रों के बीच शक्ति प्रतद्विंद्वति का प्रबंधन:

- विश्व युद्ध के बाद की यह व्यवस्था संकट में है, जिसकी नींव तब रखी गई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। यह एक ऐसी संरचना को परलिकषति करता है जिसके बारे में मतिर देशों (Allied powers) को अपेक्षा थी कि यह भविष्य के वैश्विक टकराव पर लगाम रखेगा।
 - यह व्यवस्था अपनी विशेष एजेंसियों, नधियों और कार्यक्रमों के साथ स्वयं संयुक्त राष्ट्र में ही स्थापित है।
- यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक प्रणाली है जो लगभग तीन चौथाई सदी पहले अस्तित्व में रही वृहत शक्ति प्रतद्विंद्वति को प्रबंधित करने के लिये बनाई गई थी।
 - उत्तरवर्ती वर्षों में राष्ट्रों की शक्ति एवं समृद्धि इसके मूल हस्ताक्षरकर्ताओं से और उनके बीच प्रवाहति एवं स्थानांतरित हुई है तथा राज्यों का अंतरराष्ट्रीय समुदाय चार गुना से अधिक बड़ा हो गया है।

■ संप्रभु समानता को कायम रखना:

- संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले सभी देशों की संप्रभु समानता (Sovereign Equality) को कायम रखते हुए भविष्य के एक और वैश्विक युद्ध को रोकने के लिये स्थापित किया गया था।
- लेकिन सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर संप्रभु समानता लड़खड़ा गई, जहाँ इसके पाँच स्थायी सदस्यों को अन्य संप्रभु सदस्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान की गई। ये सभी मतिर देश थे और इनमें दो प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियाँ (यूके, फ्राँस) भी शामिल थीं।
 - द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था (bipolar world order) के उद्भव ने संप्रभु समानता की जड़ों पर और प्रहार किया।

■ बहुपक्षीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाना:

- जुलाई 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF)** और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिये अंतरराष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) या **विश्व बैंक** की स्थापना की। वर्ष 1947 में टैरिफि एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) संपन्न हुआ जो वर्ष 1995 में **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** द्वारा प्रतस्थापित किया गया।
- इस वित्तीय और व्यापार संबंधी संरचना ने एक साझा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो वर्ष 1920 और 1930 के दशक की गलतियों के दुहराव से बचते हुए युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की योजना बनाने और वैश्विक व्यापार को उदार बनाने पर लक्षित थी।

■ अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार:

- संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के विकास एवं अनुपालन को बढ़ावा देता है। संगठन ने कई संधियाँ, अभिसमय एवं घोषणाएँ स्थापित की हैं जो मानवाधिकार, मानवीय कानून, पर्यावरण संरक्षण और नरिसत्त्रीकरण जैसे क्षेत्रों को नयितरति करती हैं।
- UNHRC और अन्य वभिनिन विशिष्ट एजेंसियाँ वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी एवं समाधान के लिये कार्य करती हैं।

■ सतत् विकास:

- संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया **सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development)** गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षति सहित वभिनिन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** जैसी संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसियाँ सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में विश्व के देशों के समर्थन के लिये कार्य करती हैं।

■ मानवीय सहायता:

- संयुक्त राष्ट्र संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)**, **विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** और **मानवीय कार्यों के समन्वयन के लिये कार्यालय (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- OCHA)** जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से सहायता (aid) के समन्वयन एवं वितरण में भूमिका निभाता है, शरणार्थियों एवं आंतरिक रूप से वसिस्थापित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करता है और पीड़ित एवं कमज़ोर आबादी की रक्षा करने एवं उन्हें राहत प्रदान करने में योगदान करता है।

21वीं सदी में बहुपक्षवाद/बहुपक्षीयता (Multilateralism) के समक्ष चुनौतियाँ:

■ बहुपक्षवाद में सुधार करना एक कठिन कार्य:

- बहुपक्षवाद में सुधार करना वभिनिन कारणों से एक कठिन कार्य है क्योंकि यह वैश्विक शक्ति राजनीति में गहराई से उलझा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, बहुपक्षीय संस्थानों और ढाँचों में सुधार की कोई भी कार्रवाई स्वतः एक ऐसे कदम में बदल जाती है जो शक्ति/सत्ता के वर्तमान वितरण में बदलाव की मांग करती है।
- वैश्विक व्यवस्था में शक्ति वितरण में संशोधन करना न तो आसान है और न ही सामान्य। इसके अलावा, यदि इसे सतर्कता से नहीं किया गया तो इसके प्रतिकूल प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।

■ यथास्थितिवादी शक्तियों के बीच आम सहमति का अभाव:

- यथास्थितिवादी शक्तियाँ (Status Quo Powers) बहुपक्षीय सुधारों को एक 'ज़ीरो-सम गेम' के रूप में देखती हैं। उदाहरण के लिये, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के संदर्भ में, अमेरिका और यूरोप का मानना था कि सुधार से उनका प्रभाव और प्रभुत्व कम हो जाएगा।
- इससे इन संस्थानों में सर्वसम्मति या मतदान से सुधार के बारे में नरिणय लेना कठिन हो जाता है। बहुपक्षवाद उभरती 'मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर' की वास्तविकताओं के विपरीत प्रतीत होता है। उभरता हुई विश्व व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय और बहुकेंद्री नज़र आती है।

■ चीनी और अमेरिकी मूल्यों का टकराव:

- चीन और अमेरिका के बीच टकराव पिछले 70 वर्षों के बहुपक्षवाद के अंत का प्रतीक है। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक और भूकंपीय बदलाव को चहिनति करता है। अमेरिका को एक नई बहुआयामी संस्था का नेतृत्व करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चीन

का पुनःउभार प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार संतुलन पर आधारित है जो पश्चिमी सभ्यता के मूल में रहे मुक्त-बाज़ार उदारवाद में वैश्विक भरोसे की गरिबत के वर्तमान समय में अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता को संतुलित करता है।

■ बहुपक्षवाद के समकक्ष वदियमान वभिन्न संकटः

○ बहुपक्षीय सहयोग को वर्तमान में कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वप्रथम, लगातार गतरिध के कारण बहुपक्षवाद ने बहुमत का भरोसा खो दिया है। दूसरा, बहुपक्षवाद उपयोगिता संकट (utility crisis) का सामना कर रहा है, जहाँ शक्तिशाली सदस्य-राज्य इसे अब अपने लिये उपयोगी नहीं मानते हैं।

● इसके अलावा, महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव, **वैश्वीकरण (de-globalisation)**, **लोकलुभावनवादी राष्ट्रवाद (populist nationalism)**, महामारी के उभार और जलवायु आपात स्थितियों ने कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है।

○ इस गतरिध ने विश्व के देशों को बाई-लैटरल, प्लूरी-लैटरल और मनी-लैटरल जैसे अन्य समूहों में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किया है, जो फरि वैश्विक राजनीति के और अधिक ध्रुवीकरण में योगदान करता है।

■ अवधारणाओं, पद्धतियों और संस्थानों के संदर्भ में बहुपक्षवाद के समकक्ष वदियमान चुनौतियाँ:

○ बहुपक्षवाद की **अवधारणाएँ** वैश्विक आयाम की समस्याओं—जिन्हें राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रबंधित करना पड़ता है, के कारण अस्थिर होती जा रही हैं। इसके उदाहरणों में राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम मानवाधिकार संबंधी चर्चाएँ या अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय नरिणयन, पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याएँ शामिल हैं।

○ **वार्ता के तरीके** और तकनीक आधुनिक समाज की जटिलता को संबोधित नहीं कर पाते हैं।

● संगठन, योगदान, वार्ता और नरिणयन के संदर्भ में आईटी ओपन सॉफ्टवेयर मोड जैसे उपाय आधुनिक चुनौतियों के लिये बेहतर अनुकूल हो सकते हैं।

○ वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से वार्ता का अनुभव उन चुनौतियों से निपटने के तरीके सीखने में सहायक जानकारी प्रदान कर सकता है जो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं हैं।

● क्षेत्रीय दृष्टिकोण का उपयोग व्यवहार में सतत विकास जैसी अंतरनिहित रूप से 'ट्रान्सवरसल' अवधारणाओं के विपरीत है।

○ **मौजूदा संस्थाएँ** क्षेत्रवाद (regionalism) की बढ़ती भूमिका और शक्ति के बदलते संतुलन को प्रतबिंबित नहीं करती हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार पर पछिले कुछ दशकों से चर्चा चल रही है और हालिया प्रगत के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं एवं अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के अपर्याप्त मतदान अधिकार की समस्या बनी हुई है।

● **ब्रिक्स (BRICS)** जैसे नए वैश्विक खिलाड़ियों के तेज़ी से उभरने का वार्ता और अंतरराष्ट्रीय शासन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उभरती शक्तियों वभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गठबंधन और साझा दृष्टिकोण का नरिमाण कर रही हैं। अफ्रीकी देशों को यह एहसास हो रहा है कि वे साझा स्वर में अभिव्यक्ति से अपने हितों की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

UNSC के कार्यकरण से संबद्ध वभिन्न मुद्दे:

■ औपनिवेशिक मानसिकता:

○ संयुक्त राष्ट्र ने प्रमुख सहयोगी शक्तियों को स्थायी वीटो शक्ति प्रदान की। **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद जब अमेरिका ने सामाजिक-आर्थिक विकास की अनदेखी करते हुए व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी नरिभरता को बढ़ावा देने वाली इन वैश्विक संस्थाओं को थोपना शुरू किया तो नए स्वतंत्र राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया गया। यह ऐसे समय में घटित हुआ जब उपनिवेशवाद के उन्मूलन की बढ़ती मांग और वैश्विक संघर्ष के प्रभाव शाही शक्तियों के प्रभुत्व को समाप्त कर रहे थे।

■ कुछ देशों के पास असंगत शक्तियाँ:

○ पुरानी दुनिया ही नई संस्थाओं की शक्ति संरचनाओं पर नरिंत्रण बनाये रही, जैसा कि 'बैंक' और 'कोष' के प्रशासन में परलक्षित होता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा एक अमेरिकी नागरिक होता है जबकि IMF के प्रमुख को मनोनीत करने में यूरोप (पश्चिमी यूरोप) वर्चस्व रखता है।

○ मतदान अधिकार:

● कुछ सीमित सुधारों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य-राज्यों के मतदान अधिकार वस्तुतः गतिहीन बने हुए हैं। वर्तमान में इस संस्था में मूल ब्रिक्स सदस्यों के लिये मतदान अधिकार का प्रतिशत 2.22, 2.59, 2.63, 6.08 और 0.63 है।

● अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका 16.5 प्रतिशत मतदान अधिकार रखता है, जबकि यूके (4.03), जर्मनी (5.31) और G-7 के अन्य सदस्य देशों (जो अमेरिका के साथ मलिकर मतदान करते हैं) के प्रतिशत को भी जोड़ें तो यह 30 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।

○ नधियों का संवतिरण:

● **वशिष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights)** आवंटित करने और अधिकांश सुधार लागू करने के लिये 85% बहुमत वोट की आवश्यकता होती है, जो प्रभावी रूप से अमेरिका को एक शक्तिशाली वीटो सौंपता है।

● IMF वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, सलाह देने और वित्तीय कठिनाई झेल रहे देशों को नरिधारित शर्तों पर धन प्रदान करने के रूप में वैश्विक स्थिरता बनाए रखता है।

■ विकासशील देशों के हितों के वरिद्ध:

○ अंतरराष्ट्रीय संधियों (जिन्हें अब कानूनी ढाँचा प्राप्त है) पर आधारित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने वैश्विक संबंधों को सुवधिजनक बनाया, हालाँकि यह मूल संयुक्त राष्ट्र चार्टर हस्ताक्षरकर्ताओं के पक्ष में झुका हुआ है। उपनिवेशवाद के अंत, **शीत युद्ध** और सोवियत संघ के वधिटन ने इस ढाँचे को चुनौती दी।

○ विकासशील देश (पूर्व-उपनिवेशी सहित) सुरक्षा परिषद के वीटो और ब्रेटन वुड्स की मतदान संरचनाओं के वरिद्ध संघर्षरत रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से चीन ने किसी एक वधिष में नयिम नरिमाता के रूप में प्रभाव का इस्तेमाल किया है तो दूसरे वधिष में नयिम उल्लंघनकर्ता के रूप में।

■ वभिन्न समसामयिक खामियाँ:

○ **कोविड-19** के दौरान लोगों के लिये, वस्तुओं के लिये और टीकों के लिये सीमाएँ बंद कर दी गई थीं, जिससे व्यापक सहयोग पर आधारित साझा वैश्विक समृद्धिका वादा कमजोर पड़ा।

- यूकरेन पर रूस के आक्रमण ने एक प्रमुख शक्ति के पाखंड को उजागर कर दिया, जिससे वैश्विक नियमों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, गाजा में जारी संघर्ष ने विकासशील देशों के बीच के वभाजन को उजागर किया है।
- यह संघर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्यों के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से मानवाधिकारों और नरसंहार अभिसमय (genocide convention) के संबंध में, के प्रतिप्रतिबद्धता चुनौती दे रहा है।

UNSC में सुधार के लिये सुझाव:

■ G-20 की भूमिका:

- **G-20** को सर्वप्रथम बहुपक्षीय सुधार का उचित आख्यान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह एक सहभागिता समूह का गठन कर सकता है जो आख्यान को वैश्विक चर्चा में सबसे आगे लाने के लिये समर्पित हो।
- भारत को समूह के आगामी अध्यक्षों ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आग्रह करना चाहिए कि **UNSC में बहुपक्षीय सुधारों को अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की प्रथमिकता में शामिल करना चाहिये।**
- G-20 को बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन करते हुए भी बहुपक्षवाद के एक नए रूप के रूप में मनी-लैटरल समूहों को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिये और उन्हें बहु-हतिधारक भागीदारी में बदलने का प्रयास करना चाहिये।
- विशेष रूप से 'ग्लोबल कॉमन्स' के शासन से संबंधित क्षेत्रों में मुद्दा-आधारित मनी-लैटरल नेटवर्क का निर्माण करना प्रतिस्पर्धी गठबंधनों को रोकने में सहायक होगा जहाँ अन्य अभिक्रिया अपने लाभ के लिये वही खेल खेलते हैं, जिससे विश्व व्यवस्था और अधिक खंडित हो जाती है।

■ व्यापक सुधारों की आवश्यकता:

- विश्व को एक सर्वव्यापी एवं व्यापक सुधार प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी एवं गैर-स्थायी श्रेणियों में विस्तार, वीटो का प्रश्न, महासभा एवं सुरक्षा परिषद के बीच संबंध और कार्य पद्धति में सुधार शामिल हो।
- भारत ने इस बात पर बल दिया है कि UNGA की प्रधानता एवं वैधता इसकी सदस्यता की समावेशी प्रकृति और इसके सभी घटकों की संप्रभु समानता के सिद्धांत से तय होगी।

■ भारत की अपेक्षित भूमिका:

- वैश्विक शून्यता, सापेक्ष शक्ति में बदलाव और भारत का अपना सामर्थ्य उसे **NAM-Plus** के रूप में एक सौम्य बहुपक्षवाद को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है जो विश्व के एक बड़े हिस्से के साथ प्रतिध्वनित होता है और ब्रिक्स एवं **G-7** दोनों को एक साथ लाता है।
- भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ UNSC में सुधार की मांग करता रहा है और इस बात पर बल देता है कि वैश्व स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के उच्च पटल पर जगह पाने का सही हकदार है।
- **G-4 देश (ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत) UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।**

■ UNSC सुधारों में एशियाई सदी को समझना:

- एशियाई सदी (Asian Century) को उत्तर-औपनिवेशिक संप्रभुता को नष्टिप्रभावी करते हुए शांतपूर्ण सह-अस्तित्व के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिये। दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के उदय के दृष्टिकोण से भी एक महत्त्वपूर्ण सबक है।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ठीक ही कहा था कि जहाँ अमेरिका ने सैन्य व्यय पर 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये, वहीं चीन ने युद्ध पर एक पैसा भी बर्बाद नहीं किया।

■ उभरती चित्तियों को समायोजित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता:

- परिषद के आकार, सदस्यों के लिये शर्तों, प्रस्तावों को मंजूरी देने की सीमा या स्थायी सदस्यों की शक्तियों में बदलाव के लिये चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है।
- ये संशोधन तब लागू होंगे जब उन्हें UNGA में समर्थन के दो-तर्हिई मत प्राप्त होंगे और महासभा के दो-तर्हिई सदस्य देश (जिनमें UNSC के पाँच स्थायी सदस्य देश भी शामिल हैं) उनकी पुष्टि (ratify) करेंगे।
- ऐसी बाधाओं के रहते हुए संशोधन करना अत्यंत कठिन है। वर्ष 1945 में अंगीकरण के बाद से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में केवल पाँच बार संशोधन किया गया है, जिनमें सबसे हालिया परिवर्तन वर्ष 1973 में लागू हुआ था।
- इन संशोधनों ने चार अतिरिक्त नरिवाचित सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद का आकार 11 से 15 सदस्यों तक बढ़ा दिया। वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिबिंबित करने के लिये इसी तरह के संशोधनों पर विचार करने की आवश्यकता है।

Key UN reforms

- 1997** Kofi Annan announces his plan for United Nations reform with two reform packages: "Track One" and "Track Two"
- 2004** Two models proposed for expanding the Security Council
- 2005** Kofi Annan presents his most comprehensive reform and policy agenda with his report "In Larger Freedom"
The Peacebuilding Commission (PBC) is established
- 2006** The Human Rights Council replaces the former United Nations Commission
- 2007-2016** Reforms continues during Ban Ki-moon's term with the launch of the 2030 Agenda for Sustainable Development and adoption of the Paris Climate Agreement
- 2017-2020** Reforms envisioned by UN Secretary-General Antonio Guterres have been ongoing which focus on the UN's peace and security pillar

नबिर्कषः

- संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों पर आधारित वर्तमान वैश्विक व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और वैश्विक संघर्ष को रोकने के लक्ष्य से स्थापित की गई थी, लेकिन अब इसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर शक्ति की गतिशीलता, विशेष रूप से UNSC के P5 की वीटो शक्ति, एक पुरानी पड़ चुकी संरचना को परिलक्षित करती है जो बदलते वैश्विक परिदृश्य को संबोधित नहीं करती है।
- चूँकि विश्व नई चुनौतियों (जैसे कि COVID-19 महामारी और बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष) से जूझ रहा है, वर्तमान वैश्विक संरचना का पुनर्मूल्यांकन करने और इसमें संभावित सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समसामयिक वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में प्रासंगिक एवं प्रभावशील बना रहे।

अभ्यास प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्तमान संरचना और इसके समक्ष वदियमान चुनौतियों के आलोक में इसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। इस संदर्भ में आप कनि सुधारों का प्रस्ताव करेंगे?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. "संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति (यूनाईटेड नेशंस करेडेंशियलिस कमिटी)" के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2022)

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है।
- पारंपरिक रूप से प्रत्यय मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है।
- यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 3
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 2

उत्तर: (A)

प्रश्न. UN की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्यों का चुनाव कतिनी अवधके लिये महासभा द्वारा किया जाता है? (2009)

- (a) 1 वर्ष
- (b) 2 वर्ष
- (c) 3 वर्ष
- (d) 5 वर्ष

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के प्रमुख कार्य क्या हैं? इससे साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिये। (2017)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/secretary-general-warns-of-un-s-uncertain-future>

